



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082022-238036
CG-DL-E-12082022-238036

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3576]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 2022/श्रावण 19, 1944

No. 3576]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 2022/SHRAVANA 19, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

का.आ. 3744(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1685 (अ), तारीख 7 अप्रैल, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उपखंड (II) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 150 (इ) के 70.682 कि.मी. से 138.352 कि.मी. (महाराष्ट्र सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करके/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 24/05/2022 को दैनिक “लोकमत” (मराठी) और दैनिक “इंडियन एक्सप्रेस” (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 150 (इ) के (महाराष्ट्र सेक्शन) चैनेज कि.मी. 70.682 से कि.मी. 138.352 के लिए अर्जन की जानेवाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: सोलापूर					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: अक्कलकोट				
	गांव का नाम: ब्यागेहळी				
1	24	निजी	कृषि	0.11	सैपन्मा अलीसाहेब पिंजार नदाफ, किरण बाळकृष्ण काळसे, शमिला अलीसाहेब पिंजार नदाफ, हाजीमलंग अलीसाहेब पिंजार नदाफ, दावलमलिक अलीसाहेब पिंजार नदाफ, नबीलाल अलीसाहेब पिंजार नदाफ, प्रेमकुमार इरगौडा उगाणे, संतोषकुमार श्रीमंत मलबागी, मलकावती प्रकाश घोडके, युक्ता प्रकाश घोडके (24)
	तालुक का नाम: उत्तर सोलापूर				
	गांव का नाम: सोलापूर				
1	589/1/1 Pt	निजी	बिनशेती	0.0078	मे. श्रीकांत अँड कंपनीचे भागीदार सत्यम्मा कृष्णहरी सिंगम, श्रीपाद कृष्णहरी सिंगम, श्रीकांत कृष्णहरी सिंगम, मे. सिद्धिविनायक इंडस्ट्रीज पार्टनर सत्यनारायण व्यंकनरसू सिंगम, गंगाधर सत्यनारायण सिंगम, मधुकर सत्यनारायण सिंगम, पद्मावती सत्यनारायण सिंगम, कृष्णहरी व्यंकटनारासू सिंगम, रामलू व्यंकटनारासू सिंगम, लक्ष्मण व्यंकटनारासू सिंगम, लक्ष्मण व्यंकटनारासू सिंगम, चंद्रय्या

					मुत्तय्या इराबत्ती, शोभा चंद्रय्या इराबत्ती, यादगिरी मुत्तय्या इराबत्ती, अनुराधा यादगिरी इराबत्ती, दिनेश चंद्रय्या इराबत्ती, उर्मिला गंगाधर सिंगम, ईश्वर व्यंकय्या नडीमेटला, नर्मदा सिद्राम सिंगम, मे. साईनाथ अँड कंपनीचे भागीदार गंगाधर सत्यनारायण सिंगम, उर्मिला गंगाधर सिंगम, मधुकर सत्यनारायण सिंगम, लता मधुकर सिंगम (589/1/1 पीटी)
2	589/1/2	निजी	शेती	0.0922	अनिता यादगिरी बुधाराम, आनंद गणेश बुधाराम, गणेश शंकर बुधाराम, जनाबाई गणेश बुधाराम, पूजा विनायक बुधाराम, यादगिरी शंकर बुधाराम, वर्षा हिरालाल बुधाराम, विनायक गणेश बुधाराम, श्वेता आनंद बुधाराम, हिरालाल गणेश बुधाराम, शिवानंद मल्लिकार्जुन कुंभार, श्रीशैल मल्लिकार्जुन कुंभार, रिजेन्सी एक्स्पोर्ट प्रा. लि.राजेश लक्ष्मणदास कोरा (589/1/2)
			कुल	0.21	

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/16/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2022

S.O. 3744(E).—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1685 (E) dated the 07 April, 2022, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said Notification for building (widening/four-laning etc), maintenance, management and operation of National Highway No. 150 (E) in the stretch of land from Km. 70+682 to Km. 138+352 (Maharashtra Section) in the district Solapur in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said Notification has been published in Daily Lokmat (Marathi) and Daily Indian Express (English) both dated the 24/05/2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 70.682 to Km. 138.352 (Maharashtra Section) of the National Highway No. 150 (E) in state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA District: SOLAPUR					
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Akkalkot				
	Village: Bagehalli				
1	24	Private	Agriculture	0.11	Saipanma Alisaheb Pinjar Nadaf, Kiran Balkrishna Kalase, Shamila Alisaheb Pinjar Nadaf, Hajimalang Alisahbe Pinjar Nadaf, Dawalmalik Alisaheb Pinjar Nadaf, Nabilal Alisaheb Pinjar Nadaf, Premkumar Irgouda Ugane, Santoshkumar Shrimant Malabagi, Malkavati Prakash Ghodake, Yukta Prakash Ghodake 24
	Taluk: North Solapur				
	Village: Solapur				
1	589/1/1 Pt	Private	Non Agriculture	0.0078	M/s. Shrikant And Company Partner Satyamma Krishnahari Singam, Shripad Krishnahari Singam, Shrikant Krishnahari Singam, M/s. Siddhivinayak Industries Partner Satyanarayan Vyankarnarasu Singam, Gangadhar Satyanarayan Singam, Madhukar Satyanarayan Singam, Padmavati Satyanarayan Singam, Krishnahari Vyankatnarnarasu Singam, Ramlu Vyankatnarnarasu Singam, Laxman Vyankatnarnarasu Singam, Chandrayya Muttayya Irabatti, Shobha Chandrayya Irabatti, Yadgiri Muttayya Irabatti, Anuradha Yadgiri Irabatti, Dinesh Chandrayya Irabatti, Urmila Gangadhar Singam, Ishwar Vyankayya Nadimetla, Narmada Sidram Singam, M/s. Sainath And Company Partner Gangadhar Satyanarayan Singam, Urmila Gangadhar Singam, Madhukar Satyanarayan Singam, Lata Madhukar Singam 589/1/1 Pt
2	589/1/2	Private	Agriculture	0.0922	Anita Yadgiri Budharam, Anand Ganesh Budharam, Ganesh Shankar

					Budharam, Janabai Ganesh Budharam, Pooja Vinayak Budharam, Yadgiri Shankar Budharam, Varsha Hiralal Budharam, Vinayak Ganesh Budharam, Shweta Anand Budharam, Hiral Ganesh Budharam, Shivanand Mallikarjun Kumbhar, Shrishail Mallikarjun Kumbhar, Rigency Export Pvt. Ltd. Rajesh Laxmandas Kora 589/1/2
			TOTAL	0.21	

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/16/3D]

RAJESH GUPTA, Director